(51)

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी परिसर (साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),
सिरखा टोली, नामकुम, रॉंची – 834010 (झारखण्ड)

कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2020 को अपराह्न 01.00 बजे Examination Committee की बैठक की कार्यवाही :–

बैठक संख्या:–03 (तृतीय)

Sr	Agenda	Description	Proposal	Decision
01	UGC/ AICTE Guidelines के अनुसार पंचम सेमेस्टर डिप्लोमा अभियंत्रण परीक्षा 2020 एवं प्रथम सेमेस्टर डिप्लोमा अभियंत्रण परीक्षा 2019 का परीक्षाफल तैयार करना :–	JUT के 7वीं एकेडमिक कौंसिल (Academic Council) एवं 8th Executive committee के निर्णय के आलोक में डिप्लोमा प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2019 एवं पंचम सेमेस्टर परीक्षा 2020 का परीक्षाफल UGC/AICTE के Guideline के आधार पर बिना परीक्षा आयोजित किये तैयार किया जाना है। UGC/AICTE के Guideline के अनुसार किसी विद्यार्थी का Grading Internal Marks का 50% एवं पूर्व के सेमेस्टर के परीक्षाफल का 50% अंक के आधार पर तैयार किये जाने का प्रावधान है। वर्णित सेमेस्टर के अंक पत्र विद्यार्थियों को निर्गत करने हेतु विषयवार अंक अंकित कर परीक्षाफल (Tabulation Register) प्रकाशित किया जाना अति आवश्यक है जबकि UGC/AICTE के Guideline में अगले सेमेस्टर में प्रोमोट का जिक्र है, विषयवार अंक के निर्धारण का नहीं।	पंचम सेमेस्टर परीक्षा 2020 का परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु तीन तरह से परीक्षाफल तैयार की गई है जो कमवार इस प्रकार है:– (i) पूर्व (चतुर्थ) सेमेस्टर के Total Aggregate अंक के प्रतिशत के आधार पर (ii) पूर्व सेमेस्टर के Theory, Practical एवं Sessional के प्रतिशत अंक के आधार पर (iii) चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफल (Tabulation Register) के कमानुसार विषय के 50% अंक को पंचम सेमेस्टर के Examination Scheme के कमानुसार विषय में अंकित की जा सकती है (iv) चतुर्थ के कुल प्राप्त अंक एवं पंचम के कुल आन्तरिक अंक के आधार पर।	कम संख्या 02 (दो) अनुमोदित। **(Minimum 40 marks in each subject of each student)**
02	परीक्षा समिति की प्रथम बैठक का Agenda No: 03 के निर्णय पर पुनर्विचार	दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त किसी भी संस्थान द्वारा प्रेषित संस्थानीय (आन्तरिक एवं वाह्य) अंक पर विचार नही किया जायेगा। इस निर्णय के पश्चात् भी कई एक संस्थान द्वारा कुछ विद्यार्थी का अंक परीक्षाफल प्रकाशोपरान्त प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय के आलोक में परीक्षाफल संशोधित नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ विद्यार्थी का परीक्षाफल प्रभावित है।	विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद संस्थान से संशोधित परीक्षाफल हेतु संस्थानीय अंक प्राप्त होने की स्थिति में दण्ड स्वरूप संस्थान पर प्रति छात्र प्रति विषय दण्ड (Penalty) की राशि निर्धारित की जाय। संस्थान से निर्धारित दण्ड की राशि के प्राप्ति के उपरान्त ही संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सकता है। दण्ड की राशि का निर्धारण परीक्षा समिति की प्रथम बैठक के प्रस्ताव के अनुसार की जा सकती है।	पूर्व के निर्णय में कोई बदलाव नहीं।

Kumal Jr. 25/08/2020 25/8/2020

(50)

03	परीक्षा केन्द्र के लिये प्रति पाली प्रति परीक्षार्थी प्रतिदिन एवं मूल्यांकन केन्द्र पर प्रति उत्तर–पुस्तिका का मानदेय निर्धारण	परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य संबंधी सभी तरह के खर्चों में आवश्यक क्रय एवं संबंधित व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ससमय भुगतान नहीं होने/अग्रिम नही देने से कार्य के सफल कार्यान्वयन में अनिच्छा एवं देरी होती है।	वर्तमान में अनुमोदित दर के आलोक में परीक्षा केन्द्र हेतु व्यय की अनुमान्य खर्च की अनुसूची "क" (प्रतिछात्र प्रति पाली रूपये 21/– के साथ साथ केन्द्राधीक्षक, सयुक्त केन्द्राधीक्षक एवं पुलिस दल हेतु प्रतिपाली रूपये 1200/–) एवं मूल्यांकन केन्द्र हेतु प्रति उत्तरपुस्तिका खर्च की अनुमानित व्यय की अनुसूची "ख" (रूपये 40/–) का अनुमोदन अपेक्षित है। विद्यार्थियों/उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या के आधार पर कुल अनुमानित व्यय का 80% राशि परीक्षा केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र को अग्रिम के रूप दी जा सकती है।	अनुमोदित।
04	विष्वविद्यालय से निर्गत किये जाने वाले **Marksheet, Passing-certificate & Migration** का नमूना	JUT के अर्न्तगत वर्ष 2018 से निबंधित विद्यार्थियों में M.Tech की अवधि 2020 में पूरी हो जायेगी। तत्पश्चात् उन्हें Marksheet, Passing-certificate & Migration विश्वविद्यालय से निर्गत किया जाना है। निर्गत किये जाने वाले प्रारूप अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नही है।	सभी आवश्यक प्रारूप निर्धारित करने के अनुशंसा हेतु एक समिति गठित की जा सकती है। समिति निम्न रूप से गठित की जा सकती है:– 1) निदेशक, बी0आई0टी0 या उनके प्रतिनिधि। 2) निदेशक, निफ्ट या उनके प्रतिनिधि। 3) प्राचार्य, सी0आई0टी0 या उनके प्रतिनिधि। 4) परीक्षा नियंत्रक, JUT (Member Secretary) 5) प्रभारी कुल सचिव, JUT	राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, झारखण्ड की तरह **Heading** बदलते हुए **Cource** एवं वर्ष जोड़कर निर्गत किया जा सकता है। प्रमाण पत्र पर **Controller of Examinations, Registrar** का हस्ताक्षर एवं **Vice-Chancellor** का संचिका पर अनुमोदनोपरान्त **Fescimile** लगेगा।

श्री जमील अख्तर प्राचार्य, अलकबीर पोलिटेकनिक, जमशेदपुर।	श्री उमेश कुमार प्रभारी प्राचार्य, रा0पो0खुटरी।	for प्राचार्य के प्रतिनिधि सी0आई0टी0 रांची।
Kunal Kr. 25/08/2020 डॉ कुणाल कुमार कुल–सचिव (प्रभारी) झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	25/8/2020 श्री राजेश प्रसाद परीक्षा नियंत्रक झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	Gopal Pathak 25.8.20 डॉ गोपाल पाठक कुलपति झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

ज्ञाप संख्याः–   राँची, दिनांक   /   / 2020

प्रतिलिपिः– 1. निदेशक (त0शि0) उ0त0शि0 एवं कौ0 वि0 विभाग, योजना भवन, डोरण्डा, रांची,
2. निदेशक/प्राचार्य, विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी राजकीय एवं गैर राजकीय एव पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण महाविद्यालय संस्थान एवं
3. निदेशक/प्राचार्य, विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी राजकीय एवं गैर राजकीय एव पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक
झा0प्रा0वि0, रांची।